कार्यालय सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

संख्या परिषद–9/396
दिनांक 26 सितम्बर,2002 ई0

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण की जानकारी हेतु विज्ञापित एवं प्रसारित है कि शासन ने अपने पत्र संख्या 3612/15–7–1(108)/2002 दिनांक 25 सितम्बर,2002 द्वारा परिषद विनियमों के अध्याय सात (परिषद द्वारा संस्थाओं की मान्यता) के वर्तमान विनियमों तथा मान्यता के मानकों को निम्नवत् रूप में निर्धारित करते हुए लागू करने की स्वीकृति इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा 16 की उप धारा (2) के अन्तर्गत प्रदान की है:–

अध्याय–सात
(परिषद् द्वारा संस्थाओं की मान्यता)

(1) मान्यता समिति या समितियों का गठन निम्नवत् होगा–

(क) परिषद् के छः सदस्य जिनका निर्वाचन परिषद् द्वारा ऐसी रीति से किया जायेगा कि इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा 13 की उपधारा(2) में विनिर्दिष्ट छः वर्गों में से प्रत्येक वर्ग के कम से कम एक सदस्य को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाय।

(ख) परिषद् के सचिव या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय सचिव पदेन समिति के सदस्य–सचिव होंगे।

प्रतिबन्ध यह है कि परिषद् के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय सचिव यदि वे खण्ड(ख) के अन्तर्गत नाम निर्दिष्ट न भी हो और संबंधित सम्भाग के संयुक्त शिक्षा निदेशक/उप शिक्षा निदेशक समितियों की बैठक में सम्मिलित होगें,जब उनकी अधिकारिता के क्षेत्र से सम्बन्धित मामलों पर विचार किया जाय।

टिप्पणी–परिषद् की मान्यता समिति की बैठक सचिव,माध्यमिक शिक्षा परिषद,उत्तर प्रदेश,इलाहाबाद स्थित कार्यालय में अथवा क्षेत्रीय कार्यालयों के मुख्यालयों पर होगी।

(2) परिषद् की स्वीकृति और नियंत्रण के अधीन रहते हुए मान्यता समिति के निम्नलिखित कर्तव्य होगें:–

(एक) (क) संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के लिए मानक और नियम विहित करना,

(ख) मान्यता प्राप्त संस्थाओं की मान्यता प्रत्याहरित करने के सम्बन्ध में नियम बनाना,